

RRs for Ahlmad

AHLMAD

Ahlmad

194/K
21/1/87

DELHI ADMINISTRATION: DELHI
(SERVICES II DEPARTMENT)

सर्वोत्तम सेवा...
विभाग...

Dated: 6-1-1987

NOTIFICATION

No. P.2(13)/83-S.II :- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. F.27/59-Him(1) dated the 13th July, 1959, the Administrator of the Union territory of Delhi is pleased to make rules in the Schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Ahlmad in the office of the Labour Commissioner, Delhi Administration, Delhi.

By order and in the name of the Administrator of the Union territory of Delhi.

(Signature)

(A.K.SINGH)
DEPUTY SECRETARY (SERVICES)
DELHI ADMINISTRATION: DELHI.

JAN 1987

No. P.2(13)/83-S.II

Dated: 6-1-1987

Copy forwarded for information & necessary action to the:

1. Labour Commissioner, Delhi Administration, Delhi.
 2. Deputy Director (Language), Delhi Administration, Delhi.
 3. Under Secretary (Law and Judicial), Delhi Administration, Delhi.
 4. P.S. to Chief Secretary, Delhi,
 5. Public Relations Department, Delhi Administration, Delhi
- 5 copies of the Gazette may please be supplied to this department for official use.

(Signature)

(A.K.SINGH)
DEPUTY SECRETARY (SERVICES)
DELHI ADMINISTRATION: DELHI.

7/1/87

ANNEXURE-I

Recruitment Rules for the post of Ahlmad in the Office of Labour Commissioner, Delhi Administration, Delhi.

| Name of the post. | No. of posts. | Classification | Scale of Pay. | Whether Selection for direct post or non-Selection post. | Age limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|--|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|--------|----|---|---|---|-------------|--|
| Ahlmad | 10 | Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Rs. 260-6-290- EB-6-326-8-366- EB-8-390-10-400. | Non-Selection (Relaxable for Govt. servants upto 35 years). | 18-25 years | i) Hr. Secondary/Secondary certificate from a recognised Board/University or equivalent. |
|--------|----|---|---|---|-------------|--|

ii) Speed of 30 w.p.m. in English or 25 w.p.m. in Hindi Typewriting.

(Pre-revised).

2

| Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. | Method of rectt, whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made. | If a D.P.C. exists what is its composition. Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt. |
|--|------------------------------|--|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Age : NO Educational Qualifications: Yes | Two Years | By promotion failing which by direct rectt. 50% By direct rectt. 50% | Promotion Group 'D' employees having 5 years regular service in the grade. | Group 'C' D.P.C. M.A. |

The age limit for direct recruitment will be relaxable in the case of Scheduled Caste/Tribes candidates and other special categories of persons in accordance with the general orders issued from time to time by the Central Government.

Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Caste and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

No male candidate who has more than one wife living or no female candidate who has married a person already having a wife living shall be eligible for appointment in case of direct recruitment provided that the Administrator, definitely after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.

Where the Administrator is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of the rules with respect to a class or category of persons/posts.

The date for determining the age limit mentioned in column 6 of the recruitment rules will in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts the appointments to which are made through the Employment Exchanges, the special date for determining the age limit will, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

असाध्य प्रशासन
दिल्ली प्रशासन दिल्ली

दिल्ली प्रशासन : दिल्ली ।

प्रशासन

॥ सेवा - 2 विभाग ॥

दिनांक:- 6-1-1987

अधिसूचना

102/

187

संख्या पत्र 2११३१/83-सेवा-2 :- गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या पत्र 27/59-एच.आई.एम.१११ दिनांक 13 जुलाई, 1959 के साथ प्रतिष्ठित, संविधान के अनुच्छेद 307 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संध राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक प्रशासक कार्यालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में अहलमद के पद पर नियुक्ति के लिये आवश्यक भर्ती पद्धति तथा योग्यताओं के सम्बन्ध में इसके साथ संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं ।

Encl. Vol. 1

संध राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक के आदेश से तथा उनके नाम पर,

31/1/87

॥ अजित कुमार सिंह ॥
उप-सचिव ॥सेवा॥
दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।

18/1/87
18/1/87

संख्या पत्र 2११३१/83-सेवा-2

दिनांक:- 6-1-1987

6/1/87

प्रति. सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रतिष्ठित :-

1. प्रशासक, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।
2. उप-निदेशक ॥भाषा॥, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।
3. अवर सचिव ॥विधि एवं न्याय॥, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली के निजी सचिव,
5. जन सम्पर्क विभाग, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली को दिल्ली ॥भाग-4॥ राजपत्र में प्रकाशनाार्थ दो प्रतियां । कृपया राजपत्र की पाँच प्रतियां इस कार्यालय के प्रयोगार्थ भेजे ।

31/1/87

॥ अजित कुमार सिंह ॥
उप-सचिव ॥सेवा॥
दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।

श्रमायुक्त कार्यालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में
अहलमद के पद के भर्ती नियम ।

- 1. पदनाम अहलमद
- 2. पदों की संख्या 10 पदों
- 3. वर्गीकरण ग्रुप "ग", अराजकचित्त, अलिपिकीय
- 4. वेतनमान 260-6-290-दरौ0-6-326-0-366-दरौ0-0-390-10-100 रुपये पूर्व सीमाधिकत
- 5. चयन पद है अथवा चयन पद गैर चयन
- 6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये आयु सीमा 18 से 25 वर्ष सरकारी कर्मचारियों के लिये 35 वर्ष तक शिथिलीय
- 7. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शिक्षक तथा अन्य योग्यताएं 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से हायर सेकेंडरी/सेकेंडरी पूर्ण पत्र या समकक्ष ।
2. अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति ।
- 8. तथा सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी । आयु - नहीं ।
पैक्षीयक योग्यताएं - हाँ ।
- 9. परीचीक्षा की अवधि यदि कोई हो, दो वर्ष ।
- 10. भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत । पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा : 50 प्रतिशत
सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत

पदोन्नति

110 यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो, तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।

पदोन्नति

ग्रेड में 5 वर्गों की निधीयता से "न" वर्गीय कर्मचारी।

120 यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना क्या है।

ग्रुप "ग" विभागीय पदोन्नति

130 वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।

लागू नहीं।

.....

अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार प्राथमिकता होगी।

2- इन नियमों की विलोम भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धों किए जाने के लिए अपेक्षात आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3- कोई भी पुरुष या उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं, या कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसकी पहले से जीवित पत्नी है, सीधी भर्ती के मामले में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। परन्तु दिल्ली के प्रशासन इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, विलोम भी ऐसे उम्मीदवार को इस विनियम से प्रतीन से छूट दे सकेंगे।

4- जहाँ प्रशासन का यह मत हो कि ऐसा करना आतंशयक अथवा समीचीन है तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेशों द्वारा व्यक्तियों/पदों को विलोम श्रेणी या वर्ग के सम्बन्ध में इन नियमों के उपबन्धों से विलोम को भी प्राथमिकता दे सकेंगे।

5- भारतीय विभागों के कोलम-5 में उल्लिखित आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख प्रत्येक मामले में भारत में रह रहे अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्ष द्वीप के उम्मीदवारों से भिन्न के उम्मीदवारों से आवेदनों की प्राप्ति के लिए अन्तिम तारीख होगी। ऐसे पदों के सम्बन्ध में जिनके लिए नियुक्तियाँ रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती हैं, आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख प्रत्येक मामले में वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया जाता है।

xxxxxxxxxxxx